भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 931
24 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर के मामलों का आकलन

†931. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में राष्ट्रीय कैंसर पंजीकरण कार्यक्रम (एनसीआरपी) के माध्यम से देशव्यापी कैंसर संबंधी बोझ का कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/लिंग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश के सभी जिला अस्पतालों, सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत मुंह, स्तन, सर्वाइकल और सामान्य कैंसरो का शीघ्र पता लगाने के लिए व्यापक जांच सुविधाएं प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश भर में सर्वाइकल के कैंसर की रोकथाम के लिए उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र किशोरियों के लिए एचपीवी टीकाकरण शुरू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) ऑन्कोलॉजी विभागों, नैदानिक सुविधाओं, रेडियोथेरेपी सेवाओं के विस्तार, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता तथा आर्थिक रूप से कमजोर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता सहित सुलभ और किफायती कैंसर देखभाल की उपलब्धता को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या सरकार ने देश में रोकथाम, शीघ्र पता लगाने, उपचार, अनुसंधान और मृत्यु दर में कमी लाने के मापने योग्य लक्ष्यों के साथ एनपी-एनसीडी के अंतर्गत एक समयबद्ध राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण रणनीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) – राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (एनसीआरपी) ने पिछले पाँच वर्षों (2021–2025) के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित कैंसर मामलों का विवरण प्रदान किया है, जो अनुलग्नक-I में संलग्न है।

(ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के अंतर्गत पूरे देश के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह कार्यक्रम गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए अवसंरचना, मानव संसाधन विकास, जांच, शीघ्र निदान, रेफरल, उपचार और स्वास्थ्य संवर्धन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करता है। एनपी-एनसीडी के तहत, देश भर में 770 जिला एनसीडी क्लिनिक, 233 कार्डियक केयर यूनिट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 6,410 एनसीडी क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जिला अस्पताल स्तर पर कैंसर देखभाल की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में 524 डे केयर कैंसर सेंटर (डीसीसीसी) कार्यरत हैं।

एनएचएम के तहत देश में सामान्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की रोकथाम, नियंत्रण और जांच के लिए एक जनसंख्या-आधारित पहल शुरू की गई है, जिसमें तीन आम कैंसर (मुख कैंसर, स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर) शामिल हैं। इस पहल में 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उनकी जांच के लिए लक्षित किया गया है। रोकथाम, नियंत्रण और जांच सेवाएँ प्रशिक्षित फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं [मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) और सहायक नर्स एवं मिडवाइफ (एएनएम)] के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।

(ग): सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 14 वर्ष की आयु की लगभग 1.2 करोड़ पात्र लाभार्थी लड़कियों के लिए 28 फरवरी, 2026 को राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) टीकाकरण अभियान शुरू किया गया।

(घ): आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएमजेएवाई) के अंतर्गत कैंसर सहित प्रमुख गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) का उपचार उपलब्ध है। यह योजना पैनलबद्ध सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में मध्यम और विशिष्ट देखभाल के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का प्रावधान करती है। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) और उपचार के लिए किफायती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) फार्मेसियां किफायती कैंसर दवाओं, स्टेंट और प्रत्यारोपण तक पहुंच में सुधार करती हैं, जिससे जेब से होने वाले खर्च में कमी आती है और दीर्घकालिक उपचार अनुपालन में सहायता मिलती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राष्ट्रीय नि:शुल्क दवा पहल और नि:शुल्क निदान सेवाएं जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में आवश्यक दवाएं और निदान सुनिश्चित करती हैं, जिससे जेब से होने वाले खर्च में कमी आती है। राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत जिला एवं उप-मंडल अस्पतालों में कैंसर-रोधी दवाएं आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल हैं।

(ङ): एनपी-एनसीडी कार्यक्रम के तहत रोकथाम, शीघ्र पता लगाने, निदान, उपचार, उपशामक देखभाल और पुनर्वास के माध्यम से कैंसर देखभाल की एक व्यापक निरंतरता की परिकल्पना की गई है। कैंसर उपचार अवसंरचना को मजबूत करने के लिए, सरकार 'विशिष्ट परिचर्या कैंसर सुविधा केंद्र योजना' को सुदृढ़ करने के तहत राज्य कैंसर संस्थानों (एससीआई), विशिष्ट परिचर्या कैंसर केंद्रों (टीसीसीसी) और एनपी –एनसीडी के तहत डीसीसीसी की स्थापना में सहायता कर रही है, ताकि पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण कैंसर देखभाल तक समान पहुँच में सुधार हो सके।

यह कार्यक्रम भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (एनसीआरपी) के माध्यम से जनसंख्या-आधारित जांच, जोखिम कारकों पर जागरूकता सृजन और कैंसर निगरानी को मजबूत करने में भी सहायता प्रदान करता है।

अनुलग्नक-I

भारत में विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कैंसर के अनुमानित मामलों की संख्या - सभी स्थल - (2021-2025) – स्त्री, पुरुष दोनों					
राज्य	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	13060	13395	13744	14112	14493
लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	294	302	309	318	326
हिमाचल प्रदेश	8978	9164	9373	9566	9761
पंजाब	39521	40435	41337	42288	43196
चंडीगढ़	1053	1088	1120	1152	1183
उत्तरांचल	11779	12065	12348	12642	12947
हरियाणा	30015	30851	31679	32513	33395
दिल्ली	25969	26735	27561	28387	29238
राजस्थान	72825	74725	76655	78604	80628
उत्तर प्रदेश	206088	210958	215931	221000	226125
बिहार	106435	109274	112180	115123	118136
सिक्किम	465	496	525	561	590
अरुणाचल प्रदेश	1064	1087	1125	1143	1176
नागालैंड	1805	1854	1890	1935	1992
मणिपुर	2022	2097	2169	2250	2315
मिजोरम	1919	1985	2063	2114	2189
त्रिपुरा	2623	2715	2790	2871	2930
मेघालय	2943	3025	3099	3168	3245
असम	38834	39787	40721	41713	42694
पश्चिम बंगाल	110972	113581	116230	118910	121639
झारखंड	34910	35860	36840	37824	38819
ओडिशा	51829	52960	54136	55335	56514
छत्तीसगढ़	28529	29253	30014	30763	31553
मध्य प्रदेश	79871	81901	84029	86124	88297
गुजरात	71507	73382	75290	77205	79217
दमन	135	150	161	173	188
दादरा और नगर हवेली	219	238	252	268	291
महाराष्ट्र	118906	121717	124584	127512	130465
तेलंगाना	48775	49983	51145	52334	53565
आंध्र प्रदेश	71970	73536	75086	76708	78282
कर्नाटक	88126	90349	92560	94832	97130
गोवा	1652	1700	1735	1783	1817
लक्षद्वीप	28	28	31	32	33
केरल	58139	59143	60162	61175	62179
तमिलनाडु	91184	93536	95944	98386	100937
पुदुच्चेरी	1623	1679	1753	1823	1892
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	380	393	401	408	416
कुल	**1426447**	**1461427**	**1496972**	**1533055**	**1569793**
